न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—78 / 2021 / 223 (2021 / 78)

1. उगमसिंह पुत्र स्व0 बेणा,
2. श्रीमती रतनी पत्नि स्व0 कालू,
3. मदनसिंह पुत्र स्व0 कालू,
4. बीरमसिंह पुत्र स्व0 कालू,
5. श्रीमती नौरती पुत्री स्व0 कालू,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. गोपी पुत्र स्व0 बींजा,
2. छोटी पत्नि मदन,
3. दुर्गा पुत्र
4. राजेन्द्र पुत्र
5. लोकेश पुत्र
6. पूजा पुत्री मददनसिंह, जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह0 माखुपरा, जिला अजमेर ।
7. प्रेम पुत्री,
8. कूकड़ी पुत्री
9. मन्ना पुत्री
10. सांवरसिंह पुत्र सुरजमल, जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह0माखुपुरा जिला अजमेर ।
11. श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 बींजा पत्नि लक्ष्मण सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम सवाईपुरा, पोस्ट भगवानपुरा, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
12. श्रीमती गुमानी पत्नि लक्ष्मण,
13. भगवान सिंह पुत्र
14. महेन्द्र सिंह पुत्र
15. तीजा पुत्री
16. ज्ञानसिंह पुत्र
17. नरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह, जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तहसील माखुपुरा, जिला अजमेर ।
18. किशनसिंह पुत्र दल्लासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बालूपुरा रावतों का मौहल्ला, आर्दश नगर, अजमेर ।
19. देवी सिंह पुत्र स्व0 रामा, जाति रावत, निवासी ग्राम माखुपुरा, जिला अजमेर ।
20. लक्ष्मण सिंह पुत्र रामा, जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह0 माखुपुरा, जिला अजमेर ।
21. सोनी देवी पत्नि सुखदेव सिंह,
22. सोहनसिंह पुत्र सुखदेव सिंह.
23. पप्पी देवी पुत्री सुखदेव सिंह,
24. सांवर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह,
25. शीला पुत्री सुखदेव सिंह,

जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह0 माखुपुरा, जिला अजमेर ।

26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 24.2.2021 अंतर्गत वाद संख्या 74/2011.

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 10, 18.
3. श्री नवीन गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 11.
4. श्री रामसुख चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 21, 23, 24.
5. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 19.
6. रेस्पो0 संख्या 12 से 17, 20, 22, 25 अनुपस्थित ।
7. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 26.

निर्णय

दिनांकः—

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 24.2.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद बाबत् अधिकारों की घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया तथा पुश्तैनी विरासत से प्राप्त संयुक्त खातेदारी की भूमि पर अपने—अपने निहित हिस्से का खातेदार घोषित कर बंटवारा कराया जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया तत्पश्चात् प्रकरण शेष प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाब हेतु नियत किया गया । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादकारण उत्पन्न नहीं होने के कार वाद निरस्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 24.2.2021 को पारित कर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद वादपत्र के चरण संख्या 3 में अंकित क्रम संख्या 30 से 35 में अंकित खसरा नंबर बाबत् वादी व प्रतिवादी का प्रतिदावा निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने उनके समक्ष विचाराणीय बिन्दु से परे जाकर स्वंय की राय एवं स्वंय के द्वारा बहस सुनने से पूर्व ही इसी बिन्दु पर वाद का निस्तारण करने की पूर्व धारणा रखते हुए वर्तमान प्रकरण का निस्तारण किया है जबकि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत मात्र वाद कारण प्रकट करना अर्थात् अंकित करना आवश्यक है ना कि वाद कारण को प्रारंभिक स्तर पर साबित करना आवश्यक है । अपीलांटस ने वादपत्र की चरण संख्या 10 में स्पष्ट रूप से वाद कारण प्रकट किया है इस कारण आदेश दिनांक 24.2.2021 विधि के विपरीत है होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस ने वाद अपनी संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी

आराजियात बाबत् अधिकारों का बंटवारा, घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती, व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया था जो स्पष्टतया विधि एवं तथ्यों का समिश्रण प्रकरण है तथा बंटवारा शाश्वत होता है जिसका निर्णय प्रारंभिक स्तर पर नहीं किया जा सकता है अपितु वाद का विधिवत् तनकियात कायम कर गुणावगुण पर बाद साक्ष्य विचारण के पश्चात् ही निर्णय किया जा सकता है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2016 आर0आर0टी0 पेज 254, 2016 आर0बी0जे0 पेत 637 उद्धरित किये । अधी0न्याया0 ने बिन्दु को नजरअंदाज किया कि वाद अपीलांटस की पुश्तैनी बिना बंट की भूमि के विधिवत् बंट एवं राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने बाबत् है जिस पर वाद की कोई समय सीमा नहीं है तथा वादकारण वाद में अंकित करना मात्र पर्याप्त है । वादपत्र को पढ़ने मात्र से वादकारण प्रकट होना समुचित है परन्तु अधी0न्याया0 ने अपने कयास के आधार पर दस्तावेजों का विवेचन कर वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करने जैसा निर्णय पारित किया है जो आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों में नहीं है जैसा कि न्यायिक दृष्टांत 2010 आर0आर0टी0 पेज 1336 पर चस्पा है जिससे स्पष्ट है कि पुश्तैनी भूमि के वाद का निस्तारण बाद साक्ष्य एवं विचारण के ही हो सकता है । इस स्तर पर जवाब एवं दस्तवोजी साक्ष्यों को विवेचित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र् की आड़ में वाद को गुणावगुण पर खारिज किया है जो अवैध आदेश होकर निरस्तनीय है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत मात्र वाद पत्र को देखा जावेगा कि वाद कारण अंकित है अथवा नहीं है । प्रतिवादीगण द्वारा जवाब, दस्तावेज अथवा साक्ष्य को नहीं देखा जा सकता है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2009 पेज 882 हाई कोर्ट का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । संयुक्त खातेदारी की भूमि बाबत् बंटवारे का वाद बिना साक्ष्य एवं विचारण के आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2018 पेज 1425, आर0आर0टी0 2020 पेज 375 के दृष्टांत पेश किये । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरदांज कर वाद को तकनीकी आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादपत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित क्रम संख्या 30 लगायत 35 की आराजियात प्रवितादीगण संख्या 1 से 6 बींजा पुत्र माला की स्वअर्जित खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है किन्तु वादीगण ने उपरोक्त आराजियात को पुश्तैनी बताते हुए बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के वाद पेश किया है । विवादित आराजियात बाबत् वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण ने जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है उसके अनुसार चौसाला जमाबंदी में भी उक्त आराजियात वादी अथवा उनके पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं रही है बल्कि गुलाबचंद पुत्र फूलचंद व हरदत्त पुत्र बालमुकुन्द महाजन के नाम दर्ज है । राज0काश्त0अधि0 लागू होने की दिनांक को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता बींजा पुत्र माला काबिज काश्त होने के कारण उक्त आराजी गुलाबचंद पुत्र फूलचंद व हरदत्त पुत्र बालमुकुन्द महाजन के बजाय बींजा पुत्र माला के नाम बाद के राजस्व अभिलेखों में खातेदारी से दर्ज की गई है । वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से क्रम संख्या 30 से 35 की आराजी बाबत् वादकारण उत्पन्न होना साबित करने में असफल रहे है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादपत्र के पैरा संख्या 3 में अंकित खसरा नंबरान के क्रम संख्या 30 से 35 बाबत् वादी

एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में अंकित वादग्रस्त आराजियात जवाना की अविभाजित आराजियात में वादीगण का अपने माता–पिता का 1/2 हिस्सा है जिसमें वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 3 से 6 का 1/24, 1/24 हिसस है जो वादीगण जरिये बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के प्राप्त करने तथा विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजियात के क्रम संख्या 30 से 35 की आराजियात प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के पूर्वज बींजा पुत्र माला की विधि प्रभाव से प्राप्त खातेदारी/काश्तकारी अर्थात् स्वअर्जित आराजियात है । उक्त भूमियां पुश्तैनी नहीं है जबकि वादी ने उक्त आराजियात को पुश्तैनी होने का कथन कर वाद पेश किया है । इस कारण वादीगण को उक्त आराजियात बाबत् कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध चौसला जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 के अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 3 में अंकित आराजियात के क्रम संख्या 30 से 35 में अंकित आराजियात गुलाब पुत्र फूलचंद व हरदत्त पुत्र बालमुकुन्द महान के नाम दर्ज है । तत्पश्चात् वर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त आराजियात बींजा पुत्र माला व उसकी मृत्यु उपरांत गोपी, मदन, सूरज पि0 बींजा के नाम खातेदारी से दर्ज है । वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये है वे राज0काश्त0अधि0 लागू होने की दिनांक से पूर्व के है । वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का विवादित आराजियात बाबत् कभी भी किसी भी राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं रहा है ना ही खसरा गिरदावरियों से विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त होना सिद्ध किया है। ऐसी स्थिति वादपत्र की चरण संख्या 30 से 35 पर अंकित आराजियात बाबत् वादीगण को वादकारण उत्पन्न किस प्रकार हुआ वादीगण दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.2.2021 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सेचना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.1.2022 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(सेचना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर